-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.02.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना मटौन्ध क्षेत्रान्तर्गत अवैध तमंचे से हर्ष फायर कर गैर-इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद।**
- **दिनांक 10.02.2024 की रात्रि को तिलक समारोह के दौरान अभियुक्त द्वारा अवैध तमंचे से की गयी हर्ष फायरिंग से 05 वर्षीय बच्चे की हो गयी थी मृत्यु।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र और क्षेत्राधिकारी नगर श्री गवेन्द्र पाल गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा हर्ष फायर कर गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 10.02.2024 की रात्रि को कस्बा मटौन्ध में तिलक समारोह के दौरान कस्बा मटौन्ध के ही रहने वाले प्रत्युष शुक्ला पुत्र मोती लाल शुक्ला द्वारा हर्ष फायर की गयी जिससे एक 05 वर्षीय बच्चे के गले में गोली लगने से घायल हो गया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.02.2024 को थाना मटौन्ध पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को रेलवे अंडरब्रिज मटौन्ध के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- प्रत्युष शुक्ला पुत्र मोतालाल शुक्ला निवासी चन्दन थोक कस्बा व थाना मटौन्ध जनपद बांदा।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राम दिनेश तिवारी थानाध्यक्ष मटौन्ध
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़
3. हे0कां0 अजय पाल
4. कां0 कृष्ण कुमार
5. कां0 दिलीप कुमार